भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 72

जिसका उत्तर 07 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

16 अग्रहायण, 1944 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी नियम

72. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में नए संशोधनों के साथ-साथ इंटरनेट को उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया है और टिवटर तथा फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों पर संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के अंतर्गत प्रदान किये गए नागरिकों के अधिकारों के सम्मान को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है;और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के उल्लंघनों पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) : सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इंटरनेट के विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के ऑनलाइन पर आने के साथ, इस उद्देश्य को प्राप्त करने और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में 28.10.2022 में संशोधन को अधिसूचित किया है।

संशोधित नियमों ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ सहित बिचौलियों पर उचित सावधानी बरतने के लिए बढ़े हुए दायित्वों को निर्धारित किया है और यह प्रावधान किया है कि यदि वे इस तरह के उचित परिश्रम का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे तीसरे पक्ष की जानकारी या डेटा या उनके द्वारा होस्ट किया गया संचार लिंक के लिए कानून के तहत अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे। । जबकि कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अनुच्छेद 14, 19 और 21 सहित संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान करते हुए संवर्धित समुचित सावधानी की आवश्यकता है।

नियम आगे बताते हैं कि एक उपयोगकर्ता या पीड़ित प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ माध्यस्थ की शिकायत अधिकारी को शिकायत कर सकता है, जिनके नाम और संपर्क विवरण माध्यस्थ द्वारा अपनी वेबसाइट और/या मोबाइल ऐप पर प्रकाशित किए जाने हैं। आपत्तिजनक सामग्री या उनके खातों के निलंबन के संबंध में उपयोगकर्ता शिकायतों पर माध्यस्थों की ओर से कार्रवाई/निष्क्रियता के संबंध में

शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, संशोधनों में अब शिकायत अपील समिति (समितियों) की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है ताकि उपयोगकर्ताओं को माध्यस्थों की निष्क्रियता/उनके द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील करने की अनुमति शिकायतों पर उपयोगकर्ता को मिल सके।

*****